फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा

रणजीता बनाम बाबूलाल वगै0

किस्म मुकदमा–अपील विरूद्ध नामान्तकरण मु0नं0– 06/2021

पीठासीन अधिकारी– डॉ0 नवनीत कुमार (आर0ए0एस0)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
31.10.2025	पत्रावली वास्ते निर्णय अपील हेत पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि ग्राम सिकन्दरा तह0 सिकराय में स्थित भूमि खसरा नम्बर 557/1 रकबा 3 बिस्वा के 2/3 हिस्से के खातेदार एवं काबिज काश्तकार अपीलाण्ट नामान्तकरण संख्या 1542 के जरिये हुए जिसका इन्द्राज जमाबंदी संवत 2060 में दर्ज है। अपीलाण्ट उक्त भूमि के 2/3 हिस्से पर मौके पर आज भी काबिज है तथा अपीलाण्ट ने अपनी उक्त भूमि के काफी भाग पर दुकानात मकानात निर्माण कर रखे है एवं कुछ भूमि खाली अपीलाण्ट के कब्जे में है। अपीलाण्ट ने उक्त भूमि के अपने हिस्से में से कभी भी हेमा पत्नि मांगीलाल जाति सैनी या रेस्पो नंबर 1 लगायत 3 को विक्रय नहीं किया है। पटवारी हल्का सिकंदरा ने फर्जीवाडा करके और फर्जी रिकॉर्ड बनाने के उदेश्य से उक्त भूमि में से कोई फर्जी विक्रय पत्र दिनांक 16.12.78 का बताकर तथा अपीलाण्ट के स्थान पर हेमा पत्नि मांगीलाल जाति सैनी हिस्सा 2/3 का 1/2 का नामान्तकरण संख्या 1657 भरकर और गिरदावर हल्का को पेश किया जिस पर गिरदावर हल्का ने बिना कोई रिकार्ड की जांच किये बिना उक्त अंकन को सही बता दिया जिसे ग्राम पंचायत सिकंदरा ने दिनांक 22.09.2008 को बिना अपीलाण्ट को सुनवायी व सबूत का अवसर दिये बिना व बिना कोई जांच किये बिना तस्दीक कर दिया जिसकी अपीलाण्ट को कतई जानकारी नहीं थी उसके बाद उक्त पटवारी हल्का ने कोई विक्रय पत्र दिनांक 02.07.85 का हवाला देते हुए हेमा देवी पत्नि मांगीलाल के स्थान पर नामान्तकरण संख्या 1658 भरकर उक्त नामान्तकरण को ग्राम पंचायत सिकन्दरा ने दिनांक 22.08.2008 तस्दीक कर दिया जिसकी भी अपीलाण्ट को कतई जानकारी नहीं थी। इसलिए निर्णय अधिनस्थ न्यायालय विधि विरूद्ध प्रक्रिया नियमों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। उक्त नामान्तकरण बिना अपीलाण्ट खातेदार को सुनवाई का अवसर दिए एवं बिना सुनवाई एवं सबूत पेश करने का अवसर दिए दर्ज किया गया है, न ही अपीलाण्ट ने कोई विक्रय पत्र हेमा देवी को करवाया है। इसलिए अपील स्वीकार कर नामान्तकरण संख्या 1657 ग्राम सिकन्दरा पर ग्राम पंचायत सिकन्दरा द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.09.2008 को निरस्त फरमाया जावे। अपील अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर कर रेसपोडेण्ट को विधिवत तलबी जारी की गई। उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस अपील सुनी गई। अपीलाण्ट अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद पर बहस करते हुए	

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला दौसा

रणजीता / बाबूलाल वगैरा

निवेदन किया कि प्रश्नगत नामान्तकरण अपीलाण्ट को नोटिस / सूचना देकर दर्ज नहीं किया गया है बल्कि एकपक्षीय दर्ज किया गया है जिसकी जानकारी अपीलण्ट को नहीं हो सकी है, अपीलाण्ट को जब जानकारी हुई तो नकल आवेदन किया गया जिसकी नकल दिनांक 15.09.2021 को प्राप्त हुई। इसलिए अपील पेश करने में हुई देरी को क्षमा किया जावे। अपील में वर्णित तथ्यों का दोहरान करते हुए निवेदन किया कि प्रश्नगत नामान्तकरण बिना खातेदार को सुनवाई का अवसर दिया गया है तथा अपीलाण्ट को विवादित भूमि की खातेदारी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय के उनवानी प्रकरण रणजीता बनाम नारायण वगै0 मु0न0 42/2003 के निर्णय दिनांक 21.08.2006 एवं संशोधित डिक्री दिनांक 06.09.2006 से प्राप्त हुई है। तथा जिन तथाकथित विकय पत्र के आधार पर रेस्पोडेण्ट के नाम खातेदारी दर्ज की गई है वे 16.12.78 का है जिसका नामान्तकरण संख्या 1657 दिनांक 22.09.2008 को तस्दीक किया गया है। ऐसी स्थिति में विकय पत्र न्यायालय के आदेश से पूर्व का है पालना न्यायायल आदेश के बाद की गई है जबकि अपीलाण्ट को खातेदारी न्यायालय आदेश से प्राप्त हुई है। इसलिए ग्राम पंचायत को नामान्तकरण दर्ज करने का कोई अधिकार नहीं था। इसलिए अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जावे।

रेस्पोडेण्ट अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस निवेदन किया गया कि अपीलाण्ट की अपील मियाद बाहर होने से खारिज की जावे। तथा निवेदन किया कि रेस्पोडेण्ट के हक में ग्राम पंचायत द्वारा दर्ज किया गया नामान्तकरण विधि अनुसार है तथा विकय पत्र की पालना में दर्ज किया गया है जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होने से सही हैं। इसलिए अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस का ध्यानपूर्वक मनन किया गया। पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत नामान्तकरण दर्ज करते समय अपीलाण्ट को किसी प्रकार की सूचना नहीं दी गई जबकि नियमानुसार खातेदार को सूचना दी जानी चाहिए थी, इसलिए अपीलाण्ट को प्रश्नगत नामान्तकरण की जानकारी नहीं होना संभव है। इसलिए दफा 5 मियाद कानून प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अन्दर मियाद निर्णित की जाती है।

हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस का ध्यानपूर्वक मनन किया गया। पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अपीलाण्ट के पिता द्वारा विकय पत्र सन 1978 की पालना में प्रश्नगत नामान्तकरण संख्या 1657 दिनांक 22.09.2008 दर्ज किया गया है। इस नामान्तकरण को दर्ज करते समय विवादित भूमि की खातेदारी अपीलाण्ट के नाम दर्ज थी, इसलिए नियमानुसार विवादित भूमि में किसी भी प्रकार का नामान्तकरण दर्ज करते समय सूचना अपीलाण्ट को दी जानी चाहिए थी। तथा उक्त विकय पत्र सन 1978 में किया गया है जिसके बाद अपीलाण्ट द्वारा विवादित भूमि के संबंध में उदघोषणा वाद दायर कर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय के उनवानी प्रकरण रणजीता बनाम नारायण वगै0 मु0न0 42/2003 के निर्णय दिनांक 21.08.2006 एवं

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला दौसा

रणजीता / बाबूलाल वगैरह

संशोधित डिक्री दिनांक 06.09.2006 से खातेदारी अधिकारी प्राप्त किए है तथा उक्त सन 1978 में किए गए विक्रय पत्र की पालना 22.09.2008 को की गई है जिससे न्यायालय का निर्णय प्रभावित होता है एवं विक्रय पत्र पूर्व का है जिसके संबंध में विक्रय पत्र तस्दीक होने के बाद न्यायालय द्वारा उदघोषणा वाद निर्णित किया जा चुका है, ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत द्वारा न्यायालय निर्णय के बावजूद नामान्तकरण दर्ज करने में भूल की है। रेस्पोडेण्ट को उक्त विक्रय पत्र के संबंध में या तो सक्षम न्यायालय से अनुतोष प्राप्त करना चाहिए था या न्यायालय निर्णय की अपील करनी चाहिए थी। न्यायालय निर्णय के प्रभाव में रहते हुए बिना खातेदारान को तलबी नोटिस दिए पूववर्ती विक्रय पत्र की न्यायालय निर्णय के बाद पालना किया जाना न्यायोचित नहीं है। इसलिए अपील अपीलाण्ट स्वीकार योग्य है।

अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर नामान्तकरण संख्या 1657 ग्राम सिकन्दरा ग्राम पंचायत सिकन्दरा द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.09.2008 खारिज किया जाता है। तथा प्रकरण तहसीलदार सिकराय इस इस आदेश के साथ रिमाण्ड किया जाता कि उभयपक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उपरोक्त विवेचन के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए पुनः निर्णय पारित कर नामान्तकरण दर्ज करें। तहसीलदार सिकराय उपरोक्तानुसार पालना करें। तहसीलदार सिकराय को पालना तहरीर जारी हो। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला दौसा